10. पेंशन/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) संबंधी शासनादेश/अधिनियम

विषय सूची

क0सं0	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	मा0 द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार (सातवें वेतन आयोग के सापेक्ष) दिनांक 01.01.2016 से राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य करते हुए तत्संबंधी एरियर का भुगतान किया जाना	382/XXXVI-A-1/2023-261/2022, दिनांक 08 सितम्बर, 2023	241–244
2	उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2022 के सम्बन्ध में अधिसूचना	176/XXXVI(3)/2023/78(1)/2022 दिनांक 08 मई, 2023	245–248
3	वेतन समिति उत्तराखण्ड की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप बढी हुई दरों परों पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में	105415/XXVII–10 दिनांक 10 मार्च, 2023	249–250
4	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार का अधिनियम 2011 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर उत्तराखण्ड सरकार के समस्त विभागों/निगमों से सेवानिवृत्त होने वाले अथवा सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयकों से सम्बन्धित सेवाओं की अधिसूचना	89295/XXXIV(3)/23–20(02)/21 दिनांक 09 जनवरी, 2023	251–256
5	राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित कार्मिकों की सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में अभिदाता अंशदान की वापसी के सम्बन्ध में।	87549/2022/XXVII–10 दिनांक 30 दिसम्बर, 2022	257–258
6	उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018 के भाग–चार, प्रस्तर–9 में अंकित पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु पात्र सदस्यों के नाम पेंशनर की मृत्यु से पूर्व ही पी0पी0ओ0 में दर्ज करने के सम्बन्ध मे	63643/2022XXVII–10 दिनांक 15 सितम्बर, 2022	259–260
7	अवशेष पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में प्रकिया संशोधन विषयक	71/XXVII(10)09(36)07/2020 दिनांक 04 मई, 2020	261–262

/152443/2023

उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग–1
संख्या–382/XXXVI-A-1/2023-261/2022
देहरादून, दिनांक: 08 सितम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

विषय– मा0 द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार (सातवें वेतन आयोग के सापेक्ष) दिनांक 01.01.2016 से राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य करते हुए तत्सम्बन्धी एरियर का भुगतान किया जाना।

1. मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP(C) No. 643/2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसियेशन बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 19.05.2023 को पारित आदेशों के अनुपालन में दिनांक 01.01.2016 से राज्य के सेवानिवृत्ति न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य करते हुए तत्सम्बन्धी एरियर का भुगतान किये जाने के आदेश दिये गये है।

2. अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–643/2015 ऑल इण्डिया जजेस एसोसियेशन बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 19.05.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में "द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग" की संस्तुति के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य करते हुए तत्सम्बन्धी एरियर का भुगतान निम्नवत किया जाय–

I. पेंशन/पारिवारिक पेंशनः–

(क) दिनांक 01.01.2016 अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को मूल वेतन का 50% एवं 30% क्रमशः पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के रूप में निर्धारित किया गया है।

(ख) दिनांक 09.11.2000 के बाद एवं दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत न्यायिक अधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्न दो सूत्रों के अनुसार किया जायेगाः–

a) प्रथम सूत्रः– दिनांक 31.12.2015 को प्राप्त मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि में 2.81 के स्थिर गुणक से गुणा कर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा।

b) दूसरा सूत्रः– सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को उनके वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में प्राप्त अनुवर्ती वेतन समितियों की संस्तुति के आलोक में प्रतिस्थानी वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में मूल वेतन का वैचारिक निर्धारित करते हुए दिनांक 01.01.2016 को देय पेंशन (मूल वेतन का 50%) पारिवारिक पेंशन (मूल वेतन का 30%) का निर्धारण किया जायेगा। उपर्युक्त दोनों सूत्रों में से जो अधिक लाभकारी होगा वही पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में स्वीकृत किया जायेगा।

II. मृत्यु-सह सेवानिवृत्ति उपादानः-

(क) मृत्यु-सह सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये होगी। यह अधिसीमा 25% तक बढ़ाई जायेगी जब महँगाई भत्ता मूल वेतन का 50% होगी।

(ख) मृत्य उपदानः-

सेवा अवधि	मृत्यु उपदान की राशि
एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का 02 (दो) गुणा
एक वर्ष से अधिक पर 05 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 06 (छः) गुणा
05 वर्ष से अधिक पर 11 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12 (बारह) गुणा
11 वर्ष से अधिक पर 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 20 (बीस) गुणा
20 वर्ष से अधिक	पेंशन प्रदायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिए परिलब्धियों का आधा, जो परिलब्धियों के 33 गुणा से अधिक न हो। दिनांक 01.01.2016 अथवा उसके बाद मृत्यु होने की स्थिति में अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये होगी।

III. अतिरिक्त पेंशन की राशिः-

न्यायिक सेवा के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था दिनांक 01.01.2016 से निम्न प्रकार लागू होंगेः-

क्र0 सं0	पारिवारिक पेंशनधारी/पेंशनधारी की आयु	अतिरिक्त पेंशन की राशि
1	75 वर्ष से अधिक एवं 80 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20%
2	80 वर्ष से अधिक एवं 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30%
3	85 वर्ष से अधिक एवं 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40%
4	90 वर्ष से अधिक एवं 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 60%
5	95 वर्ष से अधिक एवं 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 80%
6	100 वर्ष एवं उससे अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100%

पूर्व प्रावधानों के अनुसार यदि किसी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों (70 से 75 वर्ष) को अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया गया है, तो उसकी वसूली नहीं की जायेगी।

iv. विविधः-

(क) पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता हेतु आश्रित पारिवारिक सदस्यों की आय रू0 30,000/- (तीस हजार रूपये) प्रतिमाह से कम होनी चाहिए।

(ख) सेवावधि में मृत्यु की स्थिति में मृत्यु की तिथि से अगले 10 वर्षों तक वृद्धित दर पर पारिवारिक पेंशन (मूल वेतन का 50%) अनुमान्य होगी। सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु की स्थिति में मृत्यु तिथि से 07 वर्षों तक या उस तिथि तक जब तक सरकारी सेवक की आयु 67 वर्ष हो, यदि जीवित होता, दोनों में से जो पहले हो, वृद्धित दर पर पारिवारिक पेंशन (मूल वेतन का 50%) अनुमान्यता होगी।

(ग) The benefits of number of years of practice at bar subject to maximum of wightage of ten years will be given to direct recruits of HJS who retired prior to 01-01-2016

v. उपर्युक्त प्रावधान दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होंगे एवं भुगतान दिनांक 01.07.2023 से किया जायेगा। पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया राशि (दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 30.06.2023 तक) का भुगतान निम्नवत किया जायेगाः–

(क) कुल बकाया राशि का 25% का भुगतान दिनांक 31.03.2023 तक किया जायेगा।

(ख) कुल बकाया राशि का 25% का भुगतान दिनांक 31.10.2023 तक किया जायेगा।

(ग) कुल बकाया राशि का 50% का भुगतान दिनांक 31.12.2023 तक किया जायेगा।

3. पेंशन/सेवांत लाभों से सम्बन्धित लागू प्रावधान इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

4. यह कार्यालय ज्ञाप वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0–I/152341/2023 दिनांक 06 सितम्बर, 2023 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

Signed by Sudhir Kumar Singh
Date: 08-09-2023 12:15:21

(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव।

संख्या– 382(1)-/XXXVI-A-1/2023-261/2022 तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1. महासचिव, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
9. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सहकारिता अधिकरण, देहरादून।
10. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण, हरिद्वार रोड़, देहरादून।
11. अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, देहरादून।
12. निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, नैनीताल।
13. निबन्धक, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून।
14. समस्त न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उत्तराखण्ड।
15. सचिव, लोकायुक्त, उत्तराखण्ड।
16. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड औद्योगिक न्यायाधिकरण, हल्द्वानी, नैनीताल।
17. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
18. न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, देहरादून/हल्द्वानी।
19. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

20. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
21. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं लेखा उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
22. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
23. वित्त अनुभाग–6 / वित्त अनुभाग–7 / वित्त अनुभाग–10 / कार्मिक अनुभाग–1 / न्याय अनुभाग–2 / न्याय अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
24. श्री सुदर्शन सिंह रावत / सुश्री वंशजा शुक्ला, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को सिविल रिट याचिका सं0–643 / 2015 ऑल इण्डिया जजेस ऐसोसियेशन बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2023 के क्रम में।
25. गार्ड फाईल / एन0आई0सी0।

Signed by Ashok Kumar
Date: 08-09-2023 12:17:56

(अशोक कुमार)
संयुक्त सचिव।

क्रम संख्या–54

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 08 मई, 2023 ई0

बैशाख 18, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 176 / XXXVI (3) / 2023 / 78(1) / 2022

देहरादून, 08 मई, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2022' पर दिनांक 03 मई, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 15, वर्ष– 2023 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15, वर्ष 2023)

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा और इस निमित्त कृत कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022 है।
		(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।
		(3) यह दिनांक 01 अप्रैल, 1961 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा	2	किसी अधिकारी को पेंशन के हक के प्रयोजनार्थ किसी नियम, विनियम या शासनादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी 'अर्हकारी सेवा' से सरकार द्वारा विहित सेवा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी अस्थायी या स्थायी पद पर नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उक्त पद के लिये की गई सेवा अभिप्रेत है।
विधिमान्यकरण	3	किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के नियम 3 के उपनियम (8) एवं उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 के सम्बन्ध में या तद्धीन कृत या की गई तात्पर्यित कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किये जाने हेतु और सदैव से कृत या की गई समझी जायेगी और वे उतनी ही विधिमान्य होंगी तथा सदैव से विधिमान्यकृत समझी जायेंगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध दिनांक 01 अप्रैल, 1961 से समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।
अध्यारोही प्रभाव	4.	अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट इस अधिनियम से असंगत किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

आज्ञा से,

शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश,
सचिव।

No. 176/XXXVI(3)/2023/78(1)/2022
Dated Dehradun, May 08, 2023

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Qualifying Service for Pension and Validation Act, 2022' (Act No. 15 of 2023).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 03rd May, 2023.

The Uttarakhand Qualifying Service For Pension And Validation Act, 2022

(Uttarakhand Act No. 15 of 2023)

An

Act

to provide for qualifying service for pension and to validate certain actions taken in this behalf and for matters connected therewith or incidental thereto,

Be it enacted by the Uttarakhand Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows-

Short title, extent and commencement	1.	(1)	This Act may be called the Uttarakhand Qualifying Service for Pension and Validation Act, 2022.
		(2)	It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand.
		(3)	It shall be deemed to have come into force on April 1, 1961.
Qualifying Service for Pension	2		Notwithstanding anything contained in any rule, regulation or Government order for the purposes of entitlement of pension to an officer, "Qualifying Service" means the services rendered by an officer appointed on a temporary or permanent post in accordance with the provisions of the service rules prescribed by the Government for the post.

Validation 3 Notwithstanding any Judgement, decree or order of any Court, anything done or purporting to have been done action taken or purporting to have been taken under or in relation to sub-rule (8) of rule 3 of the Uttar Pradesh Retirement Benefit Rules, 1961 (As applicable in Uttarakhand) and the Uttarakhand Retirement Benefits Act, 2018 before the commencement of this Act, shall be deemed to be and always to have been done or taken under the provisions of this Act and to be and always to have been valid as if the provisions of this Act were in force at all material times with effect from April 1, 1961.

Overriding effect. 4. Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law for the time being in force other than this Act.

By Order,

SHAHANSHAH MUHAMMAD DILBER DANISH,

Secretary.

I/105415/2023

प्रेषक,

अमिता जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,
23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–10 देहरादूनः दिनांक–10 मार्च, 2023

विषय– वेतन समिति, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–6487/ई–फाईल–1720243/पारिवारिक पेंशन/2022–23, दिनांक–23 जनवरी, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें वित्त अनुभाग–10 के शासनादेश संख्या–214/52/xxvii(10)/2016, दिनांक–14 अक्टूबर, 2016 एवं उत्तराख़ण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018 में की गई व्यवस्था/ प्राविधानुसार वेतन समिति, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन अनुमन्य किये जाने हेतु स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

02. अवगत कराना है कि वित्त अनुभाग–10 के शासनादेश दिनांक–14 अक्टूबर, 2016 के पश्चात् उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018 निर्गत किया गया है। जिसके भाग–चार में उल्लिखित पारिवारिक पेंशन की धारा–8(2) में स्पष्ट उल्लेख किया गया हैं कि "सरकारी सेवक/पेंशनर की मृत्यु की दशा में परिवार को मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक अथवा दिवंगत सरकारी सेवक/पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

03. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत् प्रकरण में उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–193, दिनांक–13 अप्रैल, 2018 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018 के भाग–चार में उल्लिखित पारिवारिक पेंशन की धारा–8(2) में की गई व्यवस्था/प्राविधानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,
Signed by Amita Joshi
Date: 10-03-2023 14:14:24
(अमिता जोशी)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी–03

संख्या:89295/XXXIV(3)/23-20(02)21

देहरादूनः दिनांक, 09 जनवरी 2023

अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2011) की धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा जनसामान्य को नियत समय–सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त, वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी के पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम को निम्नवत अधिसूचित किया जाता है :–

1. उत्तराखण्ड सरकार के समस्त विभागों/निगमों से सेवानिवृत्त होने वाले अथवा सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयकों से संबंधित सेवाएं:

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	सेवा पुस्तिका का पूरा किया जाना और सत्यापन	आहरण वितरण अधिकारी	प्रत्येक वर्ष का जून माह पूर्व कार्यवाही करने के उपरान्त 01 माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना।	कार्यालयाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
2.	सेवा पुस्तिका का पुनर्विलोकन और कमी यदि कोई हो, का पूरा किया जाना	आहरण वितरण अधिकारी	सेवानिवृत्ति के 08 माह पूर्व कार्यवाही करने के उपरान्त 01 माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना	कार्यालयाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
3.	अदेयता प्रमाण–पत्र जारी किया जाना (सेवा अवधि में)	आहरण वितरण अधिकारी	सेवानिवृत्ति होने के ठीक 02 माह पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
4.	सेवानिवृत्ति होने वाले पदधारी को पेंशन प्रपत्र अग्रसारित किया जाना	आहरण वितरण अधिकारी	सेवानिवृत्ति के ठीक 06 माह पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
5.	मृत्यु के मामलों में पेंशन प्रपत्र का भरा जाना	आहरण वितरण अधिकारी	मृत्यु के 30 कार्यदिवस के अन्दर	कार्यालयाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
6.	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना की पूर्ति	आहरण वितरण अधिकारी	सेवानिवृत्ति के 07 माह पूर्व मृत्यु की दशा में 30 कार्यदिवस के अन्दर	कार्यालयाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
7.	पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण	आहरण वितरण अधिकारी	सेवानिवृत्ति के 05 माह पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
8.	आपत्तियों का निराकरण	आहरण वितरण अधिकारी	आपत्ति प्राप्त करने के 07 कार्यदिवस के अन्दर	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
9.	अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति (यदि अन्तिम रूप से दिया जाना सम्भव न हो)	स्वीकृता अधिकारी	सेवानिवृत्ति / मृत्यु के 45 कार्यदिवस के अन्दर	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
10.	अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री / विकलांग / मानसिक रूप से विक्षिप्त संतान को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता	संबधित कार्यालय का आहरण वितरण अधिकारी	शुद्ध दावा प्रपत्र प्राप्त होने के 30 कार्यदिवस के भीतर पेंशन प्रकरण पेंशन स्वीकृता प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना।	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
11.	राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना तथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि से सम्बन्धित **"बीमा योजना"** के अन्तर्गत भुगतान	आहरण वितरण अधिकारी	सेवानिवृत्ति की तिथि से 30 कार्यदिवस के भीतर	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
12.	जीवनकालीन अवशेष वेतन व भत्तों आदि का भुगतान / अन्तर की धनराशि का भुगतान	आहरण वितरण अधिकारी	शुद्ध दावा प्रपत्र प्राप्त होने के 30 कार्यदिवस के भीतर	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
13.	सेवानिवृत्त / मृतक सरकारी सेवकों को अवकाश नकदीकरण का भुगतान / अन्तर की धनराशि का भुगतान	आहरण वितरण अधिकारी	शुद्ध दावा प्रपत्र प्राप्त होने के 30 कार्यदिवस के भीतर	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
14.	सेवानिवृत्त / दिवगंत सरकारी सेवकों को सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा धनराशि का अविलम्ब अंतिम भुगतान / निर्धारित प्रक्रिया का त्वरित अनुपालन (क) जमा धनराशि का 90 प्रतिशत का भुगतान (ख) शेष 10 प्रतिशत का भुगतान	आहरण वितरण अधिकारी	महालेखाकार द्वारा प्रदत्त प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के 15 कार्यदिवस के भीतर भुगतान किया जाना	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
15.	राजकीय पेंशनर्स को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे का भुगतान	स्वीकर्ता अधिकारी	समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण होने के उपरान्त चिकित्सा दावा प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्यदिवस के भीतर	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
16.	सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों के अवशेष देयकों का भुगतान	विभागाध्यक्ष द्वारा नामित प्राधिकारी	आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्यदिवस के अन्दर	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
2. निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड तथा अधीनस्थ जनपद कोषागारों के सेवानिवृत्त होने वाले अथवा सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयकों से संबंधित सेवाएं :					
1.	सेवा निवृत्ति के लाभों के प्रपत्रों के प्राप्त होने तथा परीक्षण के उपरान्त पायी गयी त्रुटियों को निस्तारित करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय को अवगत कराना।	सहायक लेखाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी	पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस के भीतर	कार्यालयाध्यक्ष / अपर निदेशक	निदेशक
		शिविर कार्यालय हल्द्वानी हेतु– सहायक कोषाधिकारी		सहायक कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	अपर निदेशक
		सहायक कोषाधिकारी (जनपदीय कोषागार)		मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी	जिलाधिकारी

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
2.	पेंशन प्राधिकार पत्र जारी किया जाना।	सहायक लेखाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी	पूर्ण रूप से शुद्ध दावा प्रपत्र प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस के भीतर	कार्यालयाध्यक्ष / अपर निदेशक	निदेशक
		शिविर कार्यालय हल्द्वानी हेतु– सहायक कोषाधिकारी		सहायक कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	अपर निदेशक
		सहायक कोषाधिकारी (जनपदीय कोषागार)		मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी	जिलाधिकारी
3.	पेंशन प्राप्तकर्ता को प्रथम बार कोषागार से भुगतान	सहायक कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) प्राप्त होने के दिनांक से 03 दिवस के भीतर	मुख्य / वरिष्ठ / उपकोषाधिकारी	निदेशक / जिलाधिकारी
4.	सेवानिवृत्त अथवा मृतक सरकारी सेवकों के पेंशनरी लाभों का पुनरीक्षण का प्राधिकार पत्र निर्गत करना	सहायक लेखाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी	सम्बन्धित विभाग से शुद्ध दावा प्रपत्र प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर पी0पी0ओ0 जारी किया जाना।	कार्यालयाध्यक्ष / अपर निदेशक	निदेशक
		शिविर कार्यालय हल्द्वानी हेतु– सहायक कोषाधिकारी		सहायक कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	अपर निदेशक
		सहायक कोषाधिकारी (जनपदीय कोषागार)		मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी	जिलाधिकारी
5.	पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों द्वारा प्रस्तुत जीवित प्रमाण–पत्र का सत्यापन	सहायक कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	जीवित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उसी कार्य दिवस में।	मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी	जिलाधिकारी
06	राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत भुगतान का सत्यापन	सहायक कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	प्रकरण प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर।	मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी	जिलाधिकारी

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
4. उत्तरांचल पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 2003 पर इसका अध्यारोही प्रभाव होगा।
5. उक्त सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेंगी।

Signed by Arunendra Singh Chauhan
Date: 09-01-2023 15:55:30

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्याः 89295/XXXIV(3)/23-20(02)21 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तखण्ड शासन, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. सचिव, सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से कि इसकी 50 प्रतियॉं मुद्रित कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।
11. मीडिया सेन्टर।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Alok Kumar Singh
(आलोक कुमार सिंह)
उप सचिव।
Date: 09-01-2023 16:25:33

I/87549/2022

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादूनः दिनांक दिसम्बर, 2022

विषयः–राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित कार्मिकों की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में अभिदाता अंशदान की वापसी के सम्बन्ध मे

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–337/XXVII(10)/2022–01(04)/2021, दिनांक 29 सितम्बर, 2021 में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित कार्मिकों की सेवाकाल में मृत्यु अथवा सेवा अवधि में घटित अपंगता/असमर्थता के कारण राज्य सरकार की सेवा में अक्षमता के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत समस्त लाभ प्रदान किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिकों के राष्ट्रीय पेंशन योजना से सम्बन्धित एन0एस0डी0एल0 (सी0आर0ए0) में अवस्थित प्रान खाते में कुल जमा धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा, की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

2. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) की अधिसूचना दिनांक 30.03.2021 द्वारा निर्गत केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के प्रस्तर 20(2) की व्यवस्था निम्नानुसार हैः–

"यदि अभिदाता की मृत्यु होने पर केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के उपनियम (1) के अनुसरण में कुटुम्ब को हितलाभ देय है, तो अभिदाता के संचित पेंशन कार्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किया जायेगा। शेष संचित पेंशन कार्पस का भुगतान उस व्यक्ति को किया जायेगा, जिसके पक्ष में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अन्तर्गत नाम निर्देशन किया गया है। यदि ऐसा कोई नाम निर्देशन नहीं है या यदि किया गया नाम निर्देशन अस्तित्व में नहीं है तो संचित पेंशन कार्पस की शेष राशि का भुगतान विधिक उत्तराधिकारी को किया जायेगा।

3. उत्तराखण्ड राज्य में नई पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित कार्मिकों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है। अतः केन्द्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग) की अधिसूचना दिनांक 30.03.2021 द्वारा निर्गत केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम–20(2) में की गई व्यवस्था के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य में नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल निम्नानुसार

व्यवस्था प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

"उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित कार्मिकों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर, सम्बन्धित कार्मिक के परिवार को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत हित लाभ प्रदान किये जाने की स्थिति में, सम्बन्धित कार्मिक (अभिदाता) के संचित पेंशन कार्पस में राज्य सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ राज्य सरकार के खाते में अंतरित किया जायेगा, शेष संचित पेंशन कार्पस का भुगतान उस व्यक्ति को किया जायेगा जिसके पक्ष में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अन्तर्गत नाम निर्देशन किया गया है। यदि ऐसा कोई नाम निर्देशन नहीं है या यदि किया गया नाम निर्देशन अस्तित्व में नहीं है तो संचित पेंशन कार्पस की शेष राशि का भुगतान विधिक उत्तराधिकारी को किया जायेगा।"

4. उपयुर्क्त शासनादेश संख्या-337/XXVII(10)/2022-01(04)/2021, दिनांक 29 सितम्बर, 2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

5. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगे।

भवदीय,

Signed by Anand Bardhan
Date: 30-12-2022 01:11:35

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांकः-तदैव।</u>

<u>प्रतिलिपिः</u>-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार, लेखा, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अमिता जोशी)
अपर सचिव।

I/63 641/2022

I/63 643/2022

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-10 : दिनांक 15 सितम्बर अगस्त, 2022

विषयः- उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018 के भाग-चार, प्रस्तर-9 में अंकित पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु पात्र सदस्यों के नाम पेंशनर की मृत्यु से पूर्व ही पी0पी0ओ0 में दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018 के भाग-चार, प्रस्तर-9 में पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु पात्रता निर्धारित की गयी है। साथ ही, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के पत्र संख्या-1/27/2011-पी एंड पी डब्ल्यू (ई) दिनांक-01 जुलाई, 2013 एवं दिनांक 03 मार्च, 2020 के माध्यम से सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों के स्थाई रूप से निःशक्त बच्चे/सहोदर और आश्रित माता पिता के नाम पेंशनर की मृत्यु से पूर्व ही पी0पी0ओ0 में दर्ज करने की व्यवस्था की गयी है।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के बाद वृद्ध माता-पिता और निःशक्त बच्चे तथा अन्य आश्रित पारिवारिक सदस्यों को संशोधित पेंशन भुगतान आदेश (पी0पी0ओ0) जारी करने में कठिनाईयों का सामान करना पड़ता है।

3. अतः उक्त प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशनरों को जारी होने वाले पेंशन भुगतान आदेश (पी0पी0ओ0) में उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018 भाग-चार, प्रस्तर-9 में क्रमांक 01 से 05 में अंकित पारिवारिक सदस्यों को पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता के क्रम में पेंशनर की मृत्यु से पूर्व ही पी0पी0ओ0 में उल्लेख किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्तानुसार पी0पी0ओ0 में अंकित पारिवारिक सदस्यों को भविष्य में उनकी पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता/अनुमन्यता के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संगत नियमों/शासनादेशों के आलोक में नियमानुसार सम्बन्धित कोषागार स्तर पर परीक्षण कर पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जायेगा। स्वीकृति आदेश की प्रति पूर्व पेंशन स्वीकृत्ता प्राधिकारी को सम्बन्धित पेंशनर के मूल अभिलेखों में रक्षित किये जाने हेतु प्रेषित की जायेगी।

भवदीय,

Signed by R. Meenakshi Sundaram
Date: 15-09-2022 18:09:57
(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या एवं दिनांकः तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।

3. समस्तं मुख्य/वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (द्वारा निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड)।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिता जोशी)
अपर सचिव।

संख्या : 71/xxvii(10)09(36)07/2020

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक, कोषागार/पेंशन, उत्तराखण्ड।

(2) मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।

(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(4) समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10

देहरादून : दिनांक 04 मार्च, 2020

विषयः–अवशेष पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में प्रकिया संशोधन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्याः ए–1/1482/दस–96–10(4)95 दिनांक 10.09.1996 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके प्रस्तर–4 में अवशेष/कालातीत पेंशन भुगतान सम्बन्धी प्रकिया निर्धारित की गई है।

2. उत्तराखण्ड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत अवशेष पेंशन भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया को नये सिरे से परीक्षण किये जाने एवं प्रकिया को सरल बनाये जाने की आवश्यकता है, जिससे अधिकाधिक पेंशनर लाभान्वित हों सके तथा महालेखाकार/विभागों से पत्राचार में समय नष्ट किये बिना अवशेष पेंशन का भुगतान हो सके।

3. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन के उक्त वर्णित शासनादेश संख्याः ए–1/1482/ दस–96–10(4)95 दिनांक 10.09.1996 के प्रस्तर–4 को निम्न सीमा तक संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

"यदि पेंशन का आहरण दो वर्ष तक नहीं किया गया है, तो पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी की अनुमति से दो वर्ष तक के बकाया पेंशन के अवशेष धनराशि का भुगतान एवं पेंशन का आहरण पुनः शुरू किया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि पेंशन का आहरण दो वर्ष से अधिक और छः वर्ष तक नहीं किया गया है तो सम्बन्धित जिलाधिकारी की अनुमति से छः वर्ष तक के बकाया पेंशन के अवशेष धनराशि का भुगतान एवं पेंशन का आहरण पुनः शुरू किया जा सकेगा। उक्त अवधि से ऊपर के पेंशन अवशेष भुगतान/पेंशन के पुर्न आहरण के प्रकरणों में मण्डलायुक्त की स्वीकृति/आदेश प्राप्त करने होंगे।"

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त